–:: कार्यालय आदेश ::–

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश संख्या 1066 दिनांक 06.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), फेज़–2 के सफल क्रियान्वयन, पर्यावरणीय दृष्टि के अनुकूल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु **"पॉलीथिन कलैक्शन अभियान"** के अन्तर्गत जनपद के समस्त ग्राम प्रधान एवं सचिवों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार अपनी–अपनी ग्राम पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के अधीन समस्त ग्रामों में कार्यरत 04 सफाईकर्मियों की टीम के माध्यम से **प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह के सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पितवार को सम्बन्धित ग्रामों में डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन, सामुदायिक स्थल, ग्राम पंचायतों में स्थापित कूड़ेदान/प्लास्टिक बैंकों आदि से प्लास्टिक अपशिष्ट सम्बन्धित कूड़ा पृथक्करण केन्द्रों पर एकत्रित कराते हुये प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह के शुक्रवार एवं शनिवार को उक्त प्लास्टिक अपशिष्ट को लिंकेज प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन इकाई पर उपलब्ध** कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

तत्क्रम में जनपद की **04 ग्राम पंचायतों (ग्राम पंचायत कुचेसर, विकास खण्ड बी0बी0नगर, ग्राम पंचायत राजघाट बांगर, विकास खण्ड डिबाई, ग्राम पंचायत शहज़ादपुर कनैनी, विकास खण्ड खुर्जा एवं ग्राम पंचायत सिकन्द्राबाद देहात, विकास खण्ड सिकन्द्राबाद) में निर्मित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन इकाई** से सम्बन्धित लिंकेज ग्रामों से **"पॉलीथिन कलैक्शन अभियान"** के अन्तर्गत **प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह के शुक्रवार एवं शनिवार को ग्रामों से एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट** को सम्बन्धित पंचायत सहायक, सचिव ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान मौकेस्थल पर स्वयं उपस्थित रहकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत पर तैनात सफाई कर्मचारी के सहयोग से प्राप्त कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन इकाई पर उपलब्ध कटर एवं बेलन मशीन का प्रयोग कर प्लास्टिक/पॉलीथिन आदि को कटिंग कर जिला पंचायत, बुलन्दशहर से समन्वय स्थापित कर विक्रय करना सुनिश्चित करें, जिससे प्लास्टिक/पॉलीथिन आदि को परिवर्तित कर पुनः उपयोग में लाया जा सके एवं ग्राम पंचायत की आय सृजित हो सके। स्पष्ट किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये जाने वाले औचक निरीक्षण अथवा अन्य स्रोत्रों से उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/विलम्बता/प्रतिकूल परिस्थिति संज्ञान में आने पर सम्बन्धित के विरूद्ध बिना किसी पूर्वाग्रह के कड़ी कार्यवाही प्रख्यापित की जायेगी, जिसके लिये सम्बन्धित स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(डा0 प्रीतम सिंह)
जिला पंचायत राज अधिकारी,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांक **1067** /पं0/SBM-G/DC–SLWM/2024–25 दिनांक– **06 जुलाई, 2024**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित सफाईकर्मी द्वारा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत, जनपद बुलन्दशहर।
2. सम्बन्धित पंचायत सहायक द्वारा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत, जनपद बुलन्दशहर।
3. सम्बन्धित सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(पं0), जनपद बुलन्दशहर।
4. सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(पं0), जनपद बुलन्दशहर।
5. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बुलन्दशहर।
6. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।
7. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
बुलन्दशहर।

Scanned with OKEN Scanner